राजस्थान—सरकार राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

कमांकः प. 9(23)राज -1/2014

जयपुर, दिनांक : 04-08-2014

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या—15) की धारा 16, के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार एतद्द्वारा निर्देश देती है कि जिला सवाई माधोपुर की तहसील चौथ का बरवाड़ा व बौंली के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई, नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या—6 में अंकित मजरों/ढाणियों को एतद्पश्चात् राजस्व ग्राम के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व ग्राम की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या—8 के अनुसार होगा :-

क. सं.	जिला / तहसील	मूल राजस्व ग्राम का नाम	मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम का नाम	प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम की जनसंख्या / क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		दूरी कि. मी. में	मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
			जन संख्या	क्षेत्रफल	= 1	जन संख्या	क्षेत्रफल		4.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सवाई माघोपुर/ चौथ का बरवाड़ा	पीपल्या	1312	699.71	पार्वती नगर	446	212.41	2.0	487.30
2	सवाई माधोपुर / बौंली	बन्धावल	1967	957.56	इस्लामपुरा	490	304.25	1.5	653.31

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग—अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत मूल राजस्व ग्रामों /मवीन राजस्व ग्रामों की पृथक—पृथक जमाबन्दी, खसरा नम्बर एवं नक्शे / अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर को अधिकृत किया जाकर कार्य निष्पादन की सूचना से राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से, (दिनेश चन्द्र जैस्) संयुक्त शासन सचिव

कृ०प०उ०.....